कार्यवृत्त

बुधवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936

(दिनांक 11 जून, 2014 ई0)

खण्ड-40
अंक-03

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैंण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नियम-310 के अन्तर्गत दी गई अपनी सूचना पर चर्चा कराने की मांग उठाने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इसे नियम-58 में प्रश्न काल के बाद ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही नेता प्रतिपक्ष ने नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को नियम-310 के अन्तर्गत ही सुनने की मांग पुनः उठाई। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं भिज्ञ हैं कि सदन नियमों से चलता है एवं नियम-310 के अन्तर्गत अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों में ही सूचना को ग्राह्यता पर सुना जाता है। विपक्ष द्वारा दी गई नियम-310 की सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत सुन लिया जायेगा और सरकार भी उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष, सभी के सहयोग और विश्वास से सदन चलता है तथा स्वस्थ परंपरा यह है कि नियम-310 को नजीर के रूप में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत उठाने का अनुरोध किया।

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने पुनः नियम-310 के अन्तर्गत ही उक्त सूचना को सुनने का अनुरोध किया और कहा कि विपक्ष को भी सत्ता पक्ष की तरह ही मौका दिया जाना चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह एक प्रकार से पीठ पर आरोप है। उन्होंने हमेशा ही सबको बराबर अवसर प्रदान किया है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष बल्कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में सदैव अधिक महत्व दिया गया है। नियम-310 आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में भी इस प्रतिबन्ध के साथ सुना गया था कि भविष्य में इसे नजीर न बनाया जाए। नियम-310 का बार-बार प्रयोग कर वे एक गलत परंपरा स्थापित नहीं करना चाहते। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से पुनः अनुरोध किया कि वे नियम-58 में अपना विषय प्रस्तुत कर लें। वे नेता प्रतिपक्ष की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस विषय पर बोलने का अवसर दे देंगे चाहे वे विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के। परन्तु नेता प्रतिपक्ष सूचना को नियम-310 के अन्तर्गत ही सुनने पर अडिग रहे। विपक्ष के कई सदस्य इसी मांग को उठाने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही नेता प्रतिपक्ष नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को नियम-310 के अन्तर्गत ही सुनने की मांग पुनः उठाने लगे। श्री अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि उक्त सूचना का विषय नियम-310 के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है तथा वह सूचना नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन ली जाएगी। इसपर विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चूंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है इसलिए वे इन सभी सूचनाओं को स्वीकृत करते हुए इन पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं। सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएं।

1. कुंवर प्रणव सिंह 'चैंपियन' — प्रदेश में वर्ष 2007 से मनरेगा योजनाबन्तर्गत कार्यरत 'ग्राम रोजगार सेवकों' को सेवायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	विधान सभा क्षेत्र सल्ट में भिकियासैण विकास खण्ड प[illegible]ार में बन्द पड़ी मसाला प्रसंस्करण इकाई को पुनः प्रारम्भ करने के संबंध में।
3. श्री दानसिंह भण्डारी	विधान सभा क्षेत्र भीमताल में ओलावृष्टि से कृषि उत्पादों को हुए भारी नुकसान के संबंध में।
4. श्री राजकुमार ठुकराल	विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के विभिन्न संपर्क मार्गों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री पुष्कर सिंह धामी	विधान सभा क्षेत्र खटीमा के खटीमा शहर में सम्पूर्ण क्षेत्र बरसात में जलमग्न हो जाने की समस्या के संबंध में।
6. श्री चन्दन राम दास	विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में सरयू नदी पर सूरजकुण्ड के पास वर्ष 2006 से स्वीकृत पुल का निर्माण अभी तक न होने के संबंध में।
7. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल	विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में ग्राम सभा गौहरी माफी में वर्षा के दौरान होने वाले जलभराव के संबंध में।
8. श्री गणेश जोशी	विधान सभा क्षेत्र मसूरी के गढ़ी कैण्ट में डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में।
9. श्री मदन कौशिक	प्रदेश में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का मानदेय पिछले चार वर्षों से न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
10.श्री यतीश्वरानन्द	विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार (ग्रामीण) के विभिन्न गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से न होने से व्याप्त असंतोष के संबंध में।
11.श्री आदेश चौहान	जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड बहादराबाद के ग्राम सुल्तानपुरी मझरी में भेल के बेरियर न0 6 के पास स्थित श्री हनुमान मन्दिर के निकट अंग्रेजी शराब की देकान खुलने से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।
12.श्री दिलीप रावत	प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा किये जा रहे कई निर्माण कार्यों को लम्बित छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
13.श्री बंशीधर भगत	प्रदेश के जंगलों में लगी भीषण आग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
14.श्री बिसन सिंह चुफाल	विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट की ग्राम पंचायत सिरकुच तथा कटियारी के वर्ष 1997 में निर्मित पेयजल योजना के अनेक सीनों पर क्षतिग्रस्त होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।
15.श्री ललित फर्स्वाण	विधान सभा क्षेत्र कपकोट भानी हरसिंगियाबगढ़ में लो0नि0वि0 के क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के पुनर्निमाण के संबंध में।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 में पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट एवं विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों की है जो प्रदेश में आबकारी नीति में एफ0एल0-2 में

परिवर्तन के कारण प्रदेश में माफियाराज बढ़ने की सम्भावना के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री गणेश जोशी, श्री हरबंस कपूर, श्री सदन कौशिक तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल की है जो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिना कारण नामांकन पत्र निरस्त करने के संबंध में है। वे इनमें से पहली सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा "दून चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में" श्री नरेश थापा पुत्र श्री हेम थापा, निवासी-चन्दर रोड, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा "चकराता रोड चौड़ीकरण के कार्य में देरी के सम्बन्ध में" श्री अशोक श्रीवास्तव पुत्र श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव, निवासी-घोसी गली, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा "राजपुर रोड, विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में' श्री मंगेश कुमार पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी-संजय कालोनी, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री चन्दन राम दास तथा श्री दानसिंह भण्डारी, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री बंशीधर भगत, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री आदेश चौहान, श्री यतीश्वरानन्द, श्री पुष्कर सिंह धामी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, तथा श्री चन्दन राम दास की कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री चन्दन राम दास तथा श्री दानसिंह भण्डारी, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री बंशीधर भगत, श्री यतीश्वरानन्द, तथा श्री चन्दन राम दास की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुनने हेतु स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

श्री अध्यक्ष के एक-एक कर नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सूचना प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कृषि मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी-

> "राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम कियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल की कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी-

> "राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम कियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया गया-

> "सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान" की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान" स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये

"गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय। चर्चा जारी रहेगी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या-14(2) पर अंकित संकल्प को प्रस्तुत करने हेतु माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारा गया किन्तु सदन व्यवस्थित न होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या-14(3) पर अंकित संकल्प को प्रस्तुत करने हेतु माननीय सदस्य श्री भीम लाल आर्य का नाम पुकारा गया किन्तु सदन व्यवस्थित न होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी-

"इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी-

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी-

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी-

"दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है विशेषकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित है। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नहीं किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन U.A. State Branch ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये है, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नहीं हो सकी है।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी-

"विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी-

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में खुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी-

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी-

"उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत 20 फरवरी, 2014 नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी-

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी-

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून १.७२, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. जाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फतन्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर, चर्चा जारी रहेगी-

"उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।"

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 09 सूचनाएं प्राप्त हुई। वे इनमे से-

"विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिमगड़ी में निर्माणाधीन सड़क के कारण क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर के पुनर्निर्माण हेतु पिछले दो साल से अतिथि तक पाईप न बिछने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" श्री ललित फर्स्वाण, मा0 सदस्य की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु तथा,

"उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में निरीक्षक के पद पर तैनात कार्मिक पर लाखों रूपये गबन करने की पुष्टि होने के उपरान्त भी उक्त कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही न होने के संबंध में" श्री सरवत करीम अंसारी, माननीय सदस्य की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हैं।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

"जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 (रानीपुर) के शिवालिक नगर में वर्ष 2012 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई एस0 व टी0 कल्स्टर सड़क का पुनर्निर्माण न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" श्री आदेश चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।,

तथा

"जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से आवागमन में तीर्थयात्रियों व स्थानीय जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।" श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को दी गई सूचना पर शहरी विकास मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।